थारू

आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९
(आइएलओ महासन्धि नं. १६९)

INDIGENOUS
MEDIA FOUNDATION

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके महासम्मेलनसे,

☞ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयके संचालक निकायसे जेनेभामे बला गैलक ओ ७ जुन १९८९ मे आपन ७६ औं अधिवेशन सम्पन्न कर्लक,

☞ आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि ओ सिफारिश, १९५७ मे समाविष्ट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहे उल्लेख कैटि,

☞ मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, नागरिक ओ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ओ भेदभाव निवारण सम्बन्धी बहुट अन्तर्राष्ट्रिय लिखतके व्यवस्थाहे स्मरण कैटि,

☞ सन् १९५७ से अन्तर्राष्ट्रिय कानुनके क्षेत्रमे हुइलक विकास ओ संसारके सक्कु क्षेत्रमे आदिवासी जनजातिन्के अवस्थाके सम्बन्धमे हुइलक विकास यी विषयमे पहिलेक् मापदण्डके समिकरणमूलक अभिमखीकरण हटैना उद्देश्यले लावा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकारक् उपयुक्त हुइलक बाट बिचार कैटि,

☞ आपन बसोवास रलक राज्यके संरचनाभिट्टर आपन संस्था, जीवनपद्धति ओ आर्थिक विकास उपर नियन्त्रण करे पैना, आपन पहिचान, भाषा ओ धर्म कायम रख्ना ओ विकास कर्ना यी जातिन्के आकांक्षाहे मान्यता डेटि,

☞ विश्वके बहुट भागमे यी जाति आपन बसोबास रलक राज्य भिट्टर अन्य जनता सरह आपन मौलिक मानव अधिकार उपभोग करक असमर्थ रलक ओ ओइनके कानुन मूल्य, परम्परा ओ दृष्टिकोण बहुटसे हेरैटि गैलक बाट उल्लेख कैटि,

☞ साँस्कृतिक विविधतामे ओ मानव जातिके सामाजिक ओ पर्यावरणीय

सामन्जस्यता ओ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ओ समझदारीमे आदिवासी जनजाति पुगैलक विशिष्ट योगदानओर ध्यानाकर्षण कैटि,

☞ सयुंक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य ओ कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक ओ साँस्कृतिक संगठन ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ओ अन्तर अमेरिकी इण्डियन इन्स्टिच्युटसे उपयुक्त तह ओ सम्वन्धित क्षेत्रमे पैलक सहयोगमे देहायके व्यवस्था तर्जुमा कैगैलक ओ यी व्यवस्थाके प्रयोग प्रवर्द्धन ओ सुनिश्चित करक लग असिन सहयोग निरन्टरटा डेना प्रस्ताव कैगैलक बाट उल्लेख कैटि,

☞ यी अधिवेशनके चौथा कार्यसूचीके रुपमे रलक आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९५७ (संख्या १०७) के आंशिक संशोधन सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव स्विकर्ना निर्णय कैटि ओ यी प्रस्तावसे आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९५७ हे संशोधन कैके एकठो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिके रुप लेना बाटक् निर्णय कैटि,

☞ आज एक हजार नौ सय उनानब्बे सालके जुन महिनाके सत्ताइसवा तारिखके दिन आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ कहिजैना देहायके महासन्धि पारित कर्ले बा ।

भाग १
सामान्य नीति
धारा १

१. यी महासन्धि देहायके जनजाति ओ जनतनके हकमे लागू हुइ,

(क) सामाजिक, साँस्कृतिक ओ आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रिय समुदायके अन्य समूहसे फरक रलक, जेकर अवस्था अपने परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानुन वा नियमके कारणसे पुरा वा आंशिक रुपमे नियमित हुइना हैसियत रलक स्वतन्त्र मुलुकके आदिवासी जनजातिलोग ।

(ख) जिट गैलक् वा औपनिवशीकरणके वर्तमान राज्य सीमाना स्थापना हुइबेरिक कौनो मुलुक वा उ मुलुक रलक कौनो भौगोलिक क्षेत्रमे बसोवास कर्लक बासिन्दन्के वंश हुइलक कारणले आदिवासी मानजैना वा आपन कानुनी हैसियत जस्टे रलेसे फेन आपन कुछ वा सक्कु सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक ओ राजनीतिक संस्थाहे कायम रख्ना स्वतन्त्र मुलुकके जनता ।

२. आदिवासी जनजातिके रुपमे स्व–पहिचान यी महासन्धिके व्यवस्था लागू हुइना समूहके निर्धारण करक लग एकठो मौलिक मापदण्ड मानजाइ ।

३. यी महासन्धिमे प्रयुक्त जनता शब्द अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत उ शब्द जनाइ सेक्ना अधिकारके सम्बन्धमे कौनो फेन प्रभाव पर्ना मेरिक व्याख्या नइकैजाइ ।

धारा २

१. सम्वन्धित जनतनके सहभागितामे उ जनतनके अधिकार संरक्षण करक ओ ओइनके अखण्डताके सम्मानहे प्रत्याभूत करक लग समन्वित ओ प्रणालीवद्ध कामके विकास कर्ना जिम्मेवारी सरकारलोगनके हुइ ।

२. असिन कामेम् देहायके उपाय फेन समावेश हुइ ।

(क) राष्ट्रिय कानुन ओ नियमसे मुलुकके जनसंख्याके अन्य सदस्यलोगन डेलक अधिकार ओ अवसरसे यी जनताके सदस्यलोग बराबर रुपमे फाइदा लेलक् सुनिश्चित कर्ना,

(ख) यी जनताके सामाजिक ओ साँस्कृतिक पहिचान, परम्परा ओ प्रथा ओ संस्थाप्रतिके सम्मान ढैटि ओइनके सामाजिक, आर्थिक ओ साँस्कृतिक अधिकारके पूरा कार्यान्वयनके प्रवर्द्धन कर्ना,

(ग) यी जनताके आकाँक्षा ओ जीवन पद्धतिसे अनुकुल हुइना मेरिक आदिवासी ओ राष्ट्रिय समुदायके अन्य सदस्यबीच मौजुदा सामाजिक, आर्थिक खट्हा उन्मूलन करक लग सम्बन्धित जनताके सदस्यलोगन सहयोग कर्ना ।

धारा ३

१. आदिवासी जनजाति मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके सक्कु उपाय निर्वाध रुपमे वा कौनो भेदभाव बिना उपभोग करहिं । यी महासन्धिके व्यवस्था जनतनके पुरुष ओ महिला सदस्यन्के हकमे बिना कौनो भेदभाव लागू हुइ ।

२. यी महासन्धिमे उल्लिखित अधिकारलगायत सम्बन्धित जनतनके मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके उल्लङ्घन कर्ना कौनो मेरिक बल वा शक्ति प्रयोग नइकैजाइ ।

धारा ४

१. सम्बन्धित जनताके संस्था, सम्पत्ति, श्रम, संस्कृति ओ वातावरण ओ व्यक्तिलोगनके सुरक्षाके लग उपयुक्ततानुसार विशेष उपाय पारित कैजाइ ।

२. असिन विशेष उपाय सम्बन्धित जनताके स्वतन्त्र रुपमे अभिव्यक्त हुइलक इच्छा विपरित नैहुइ ।

३. असिन विशेष उपायसे नागरिकके साधारण अधिकार भेदभावरहित उपभोगमे कौनो फेन मेरिक प्रतिकुल प्रभाव नैपारि ।

धारा ५

यी महासन्धिके व्यवस्था लागू करेबेर,

(क) असिन जनताके सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक ओ आध्यात्मिक मूल्य

ओ प्रचलनहे मान्यता डेके संरक्षण कइजाइ, ओ ओइने समूहगत ओ व्यक्तिगत रुपमे झेले परल समस्यक् प्रकृतिहे समुचित ध्यान डे जाइ ।

(ख) असिन जनताके मूल्य, अभ्यास ओ संस्थाके अखण्डताहे सम्मान कैजाइ ।

(ग) प्रभावित जनताके सहभागिता ओ सहयोगमे, असिन जनता जिन्गि ओ कामके लावा अवस्थाके सम्बन्धमे अनुभव कर्लक कठिनाइ न्यूनीकरण कर्ना उद्देश्य रलक नीति लेजाइ ।

धारा ६

१. यी महासन्धिके अवस्था लागू करेबेर सरकार देहाय बमोजिम करि,

(क) यी जनतन प्रत्यक्ष रुपमे प्रभाव पारे सेक्ना कानुनी वा प्रशासनिक कामके सम्बन्धमे विचार करेबेर उपयुक्त कार्यविधि ओ खासकैके ओइनके प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत सम्बन्धित जनतनसे परामर्श कर्ना,

(ख) ओइनसे सरोकार रख्ना नीति ओ कार्यक्रमके लग जिम्मेवार निर्वाचित संस्था ओ प्रशासनिक ओ अन्य निकायमे निर्णय कर्ना सक्कु तहमे जनसंख्याके अन्य तह जौन हदसम सहभागी हुइल बटाँ, कम्तीमे उहे हदमे यी जनता स्वतन्त्र ढंगले सहभागी हुइ सेक्ना माध्यम स्थापित कर्ना,

(ग) यी जनताका अप्ने संस्था ओ पहलके पुरा विकासके लग माध्यम खडा कैना ओ उपर्युक्त हुइलक अवस्थामे यी प्रयोजनके लग आवश्यक स्रोत उपलब्ध करैना ।

२. यी महासन्धिके कार्यान्वयन करेबेर कइजइना परामर्श असल नियतले ओ परिस्थिति अनकुल हुइना मेरिक प्रस्तावित उपायके सम्बन्धमे

सहमति वा सम्झौता हासिल कैना उद्देश्यले कैजाइ ।

धारा ७

१. सम्बन्धित जनतन अपन जिन्गि, आस्था, संस्था ओ आध्यात्मिक कल्याण ओ ओइने ओगट्लक वा अन्य मेरिक बेल्सलक जग्गामे प्रभाव पर्ना विकासके प्रक्रियाके लग आपन प्राथमिकता निर्धारण कर्ना ओ सम्भव हुइलक हदसम अपन आर्थिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक विकास उपर नियन्त्रण कायम रख्ना अधिकार रहि । अस्टक ओइन प्रत्यक्ष रुपमे प्रभाव पारे सेक्ना राष्ट्रिय ओ क्षेत्रीय विकासके योजना ओ कार्यक्रमके तर्जुमा, कार्यान्वयन ओ मुल्याङ्कनमे ओइने सहभागी हुइहि ।

२. प्रभावित जनतनके सहभागिता ओ सहयोगमे ओइनके जिन्गि ओ कार्यअवस्था ओ स्वास्थ्य ओ शिक्षाके तहमे सुधार लन्ना विषय, ओइने बसोवास कर्ना क्षेत्रके समग्र आर्थिक विकास कर्ना योजनामे प्राथमिकता प्राप्त विषय रहि । असिन क्षेत्रके विकासके लग तय कैजैना विशेष आयोजना समेत असिन सुधार प्रवर्द्धन कर्ना मेरिक तय कैजाइ ।

३. सरकार उपयुक्त हुइलक अवस्थामे सम्वन्धित जनताके सहयोगमे योजनाबद्ध विकासके काम कारवाहीसे ओइनमे पर्ना सामाजिक, आध्यात्मिक, साँस्कृतिक ओ वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन कर्ना अध्ययन संचालन कैना बाट सुनिश्चित करहिं । असिन अध्ययनके निष्कर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनके लग मुख्य आधारके रुपमा लेजाइ ।

४. सरकार सम्बन्धित जनताके सहयोगमे, ओइने बसोवास कर्ना भू–क्षेत्रके वातावरण संरक्षण ओ बचावट कर्ना उपाय अपनाइ ।

धारा ८

१. सम्बन्धित जनतनके हकमे राष्ट्रिय कानुन ओ नियम लागू करेबेर ओइनके परम्परा वा परम्परागत कानुनहे समुचित ध्यान डेजाइ ।

२. राष्ट्रिय कानुन प्रणाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमे मान्यता प्राप्त मानवअधिकारसे परिभाषित हुइलक मौलिक अधिकारसे नैबाझगइल अवस्थामे यी जनतन आपन परम्परा ओ संस्था कायम रख्ना अधिकार रहि । यी सिद्धान्त लागू करेबेर उत्पन्न हुइसेक्ना विवाद समाधान करक लग आवश्यक हुइलक अवस्थामे, कार्यविधि स्थापित कैजाइ ।

३. यी धाराके प्रकरण १ ओ २ कार्यान्वयन हुइलक कारणले यी जनतनके सदस्यन् सक्कु नागरिकन् डेगैलक अधिकार प्रयोग कर्ना ओ उ अनुरुपके कर्तव्य पालना कर्नासे रोक नैलगाइ ।

धारा ९

१. राष्ट्रिय कानुन प्रणाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमे मान्यताप्राप्त मानवअधिकारसे अनुकूल हुइलक हदसम सम्बन्धित जनतनसे आपन सदस्यन् कर्लक कसूर नियमित कर्ना सम्बन्धमे परम्परागत रुपमे अभ्यास हुइटि अइलक विधिके सम्मान कैजाइ ।

२. दण्ड सजायके व्यवस्था सम्बन्धी यी जनतनके परम्पराहे ओसिन मुद्दा हेर्ना अधिकारी ओ अदालत ध्यान डिंहि ।

धारा १०

१. यी जनतनके सदस्य उपर सामान्य कानुनले व्यवस्था कर्लक दण्ड सजाय लागू करेबेर ओइनके आर्थिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक विशिष्टताहे ध्यान डेजाइ ।

२. कारागारमे बन्द कर्ना बाहेक दण्ड सजायके विधिहे प्राथमिकता डेजाइ ।

धारा ११

कानुन सक्कु नागरिकलोगन्के हकमे लागू हुइना मेरिक तोक्लक अवस्थामे बाहेक, पारिश्रमिक भुक्तानी कैके वा नैकैके सम्बन्धित जनताके सदस्यन्से

अनिवार्य रुपमे कौनो फेन मेरसे वैयक्तिक सेवा लेना कामहे कानुनसे निषेधित ओ दण्डनीय मानजाइ ।

धारा १२

सम्बन्धित जनतनके अधिकारके दुरुपयोग हुइलक विरुद्धमे असिन अधिकारके प्रभावकारी कार्यान्वयनके लग ओइने व्यक्तिगत रुपमे वा आपन प्रतिनिधिमूलक निकायमार्फत कानुनी कारवाही चलाइ सेक्ना मेरिक ओकर अधिकार सुरक्षित कैजाइ । यी जनतनके सदस्यलोग आवश्यक हुइलक अवस्थामे अनुवादके माध्यमसे वा अन्य प्रभावकारी माध्यमसे ओइने कानुनी कारवाही बुझे सेक्लक ओ ओइन बुझे सेक्लक बाट सुनिश्चित कर्ना उपाय अप्ना जाइ ।

भाग २
भूमि

धारा १३

१. महासन्धिके यी भागके व्यवस्था लागू करेबेर सरकार सम्बन्धित जनताके संस्कृति ओ आध्यात्मिक मूल्यके लग अवस्थानुसार ओइने ओगट्लक वा अन्य कौनो फेन मेरसे बेल्सलक भूमि वा भू-क्षेत्र वा डुनुसे ओइनके सम्बन्धके ओ खासकैके यी सम्वन्धके सामूहिक पक्षके विशेष महत्वहे सम्मान करहि ।

२. धारा १५ ओ १६ मे प्रयुक्त भूमि कहिजैना शब्द सम्बन्धित जनता ओगट्लक वा अन्य मेरसे प्रयोग कर्लक क्षेत्रके समग्र पर्यावरणहे समेट्ना भू-क्षेत्रके अवधारणाहे फेन जनाइ ।

धारा १४

१. सम्बन्धित जनता परम्परागत रुपमे अगोट्टि अइलक भूमिमे निहित ओइनके स्वामित्व ओ भोगाधिकारहे मान्यता डेजाइ । यकर साथे सम्बन्धित जनता एकलौटी रुपमे नैअगोट्लक मने जीविकोपार्जन ओ परम्परागत गतिविधिके लग परम्परागत रुपमे पहुँच पैलक भूमि प्रयोग

कर्ना ओइनके अधिकारके रक्षा करक लग उपयुक्त अवस्थामे उपाय अपना जाइ । यी सम्बन्धमे फिरन्ते जनता ओ घुमन्ते किसानन्के अवस्था उपर विशेष ध्यान डेजाइ ।

२. सरकारलोग सम्बन्धित जनता परम्परागत रुपमे ओगट्लक भूमि पहिचान कर्ना ओ ओइनके स्वामित्व ओ भोगाधिकारके प्रभावकारी संरक्षणके प्रत्याभूति डेना आवश्यक कदम चल्हि ।

३. सम्बन्धित जनता कर्लक भूमिसम्बन्धी दावी समाधान करक लग राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमे प्रर्याप्त कार्यविधिके व्यवस्था कैजाइ ।

धारा १५

१. सम्बन्धित जनताके भूमिसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतके अधिकार विशेष रुपमे सुरक्षित कैजाइ । असिन अधिकारमे असिन स्रोतके उपयोग, व्यवस्थापन ओ संरक्षणमे सहभागी हुइना यी जनतनके अधिकारसमेत समावेश बा ।

२. खनिज पदार्थ वा अन्य भूमिगत स्रोतके स्वामित्व वा भूमिसम्बन्धी अन्य स्रोतके अधिकार राज्यमे निहित रहना अवस्थामे राज्य असिन जनताके भूमिसम्बन्धी असिन स्रोतके अन्वेषण वा उपयोगके लग कौनो फेन कार्यक्रम संचालन करेबेर वा संचालन कर्ना अनुमति डेनासे पहिले ओइनके हितमे प्रतिकूल प्रभाव पर्ना वा नैपर्ना वा परि कलेसे कौन हदसम प्रतिकूल प्रभाव पारे सेक्ना हो उ बाट निर्धारण कर्ना उद्देश्यले यी जनतासे परामर्श कर्ना कार्यविधि स्थापित कर्ना वा कायम राखि । सम्वन्धित जनता सम्भव हुइटसम असिन काम कारवाहीसे हुइना लाभमे सहभागी हुइहि ओ असिन काम कारवाहीके कारणसे आपनहे कौनो हानी, नोक्सानी हुइ कलेसे ओइने उ वापत मुनासिब क्षतिपूर्ति पैंहि ।

धारा १६

१. यी धाराके देहायके प्रकरणके अधीनमे रहिके, सम्बन्धित जनता ओगट्लक भूमिसे ओइन नैहटा जाइ ।

२. अपवादजनक उपायके रुपमे असिन जनतनके ठाउँसारी आवश्यक डेखगैल अवस्थामे ओइनके स्वतन्त्र ओ जानकारी सहितके सहमति लेके किल असिन ठाउँसारी कैजाइ । ओइनके सहमति लेहहि नैसेक्ना हुइलमे सम्बन्धित जनताके प्रभावकारी प्रतिनिधित्वके लग मौका डेहे पर्ना व्यवस्था ओ उपयुक्त हुइलेसे सार्वजनिक जाँचबुझ कर्नासमेत व्यवस्था कर्ना राष्ट्रिय कानुन ओ नियमसे स्थापित उपयुक्त कार्यविधि अवलम्बन कैके किल ओइसिन ठाउँसारी कैजाइ ।

३. जहाँ जहिया सम्भव हुइ, यी जनतन ठाउँसारी करेपर्ना कारण ओरैटि साइट ओइनके परम्परागत भूमिमे आइ पैना अधिकार रहि ।

४. ओसिक घुमे सम्भव नैहुइलक अवस्थामे सम्झौतामे निर्धारण हुइल बमोजिम वा असिन सम्झौता नैहुइलक अवस्थामे उपयुक्त कार्यविधि अनुसार, यी जनतन सक्कु सम्भावित अवस्थामे ओइनके वर्तमान आवश्यकता ओ भावी विकासके लग व्यवस्था कर्ना उपयुक्त ओ कम्तीमे ओइने पहिले ओगट्लक भूमिके गुणस्तर ओ कानुनी हैसियत सरहके जग्गा उपलब्ध करा जाइ । सम्वन्धित जनता मौद्रिक वा जिन्सी क्षतिपुर्तिहे प्राथमिकता डेलकमे ओइन उपयुक्त जमानतमे ओसिक क्षतिपुर्ति उपलब्ध कराजाइ ।

५. असिक ठाउँसारी हुइलक जनतन उहिसे हुइ सेक्ना कौनो फेन हानी वा नाक्सानी वापत पूरापुर क्षतिपुर्ति उपलब्ध कराजाइ ।

धारा १७

१. सम्बन्धित जनता ओइनके सदस्यन्हे भूमिसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण करक लग स्थापित कर्लक कार्यविधिहे सम्मान कैजाइ ।

२. आपन समुदाय बाहेर ओइनके जग्गा बेंच्ना वा अन्य तरिकासे हकहस्तान्तरण कर्ना ओइनके सक्षमताके सम्बन्धमे विचार करेबेर सम्बन्धित जनतनसे परामर्श कैजाइ ।

३. यी जनतनके भूमिके स्वामित्व, भोगचलन वा उपयोग पाइक लग ओइनसे असम्वन्धित व्यक्तिन् यी जनताके परम्परा वा ओइनके सदस्य कानुन नैबुझ्लक कारणसे पैना फाइदा लेनासे रोक लगाजाइ ।

धारा १८

सम्बन्धित जनताके भूमिके अनधिकृत अतिक्रमण वा भोग कर्लक वापत कानुनसे पर्याप्त दण्ड सजायके व्यवस्था कैजाइ ओ असिन कसूर रोकक् लग सरकारलोग उपाय अपनैहि ।

धारा १९

राष्ट्रिय कृषि कार्यक्रम देहायके विषयके सम्बन्धमे जनसंख्याके अन्य क्षेत्रहे डे गैलक व्यवहार सरहके बराबर व्यवहार सम्बन्धित जनतन डेगैल बाट सुनिश्चित करहि ।

(क) आपन सामान्य जीवनयापनके लग अत्यावश्यक बाटके वा ओइनके संख्यामे हुइना सम्भाव्य वृद्धिके व्यवस्थापन करक आवश्यक क्षेत्र नैहुइलक अवस्थामे यी जनतन अधिकतम भूमि हुइना व्यवस्था,

(ख) यी जनतनके भोगचलनमे रलक भूमिके विकास प्रवर्द्धन कर्ना आवश्यक साधनके व्यवस्था ।

भाग ३

भर्ना ओ रोजगारीके अवस्था

धारा २०

१. राष्ट्रिय कानुन ओ नियमके संरचनाभिट्टर रहिके ओ सम्बन्धित जनताके सहयोगमे, सरकार सामान्य रुपमे कामदारलोगन्के हकमे लागू हुइना कानुनसे ओइनके संरक्षण प्रभावकारी रुपले नैहुइलक हदसम असिन जनतनसे सम्बन्धित कामदारलोगनके भर्ना ओ रोजगारीके अवस्थासे सम्बन्धित प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित कर्ना विशेष उपाय अवलम्बन करहिं ।

२. सरकार सम्वन्धित जनतासे सम्बन्धित कामदार ओ अन्य कामदारबीचके कौनो फेन भेदभाव रोकक् लग ओ खासकैके देहायके बाटके सम्बन्धमे सम्भव हरेक काम करहिं ।

(क) दक्ष रोजगारीलगायत रोजगारमे प्रवेश ओ बढुवा ओ पदोन्नतिके उपाय,

(ख) बराबर मोलके कामके लग बराबर पारिश्रमिक,

(ग) दरदवाइ ओ सामाजिक सहायता, पेशागत सुरक्षा ओ स्वास्थ्य, सक्कु सामाजिक सुरक्षाके फाइदा ओ पेशागत रुपमे सम्बन्धित अन्य कौनो फेन फाइदा ओ आवास,

(घ) संघ, संस्थाके अधिकार ओ कानुनी ट्रेड युनियन गतिविधि कर्ना सक्कु स्वतन्त्रता ओ रोजगारदाता वा रोजगारदाता संस्थासे सामुहिक सम्झौता कर्ना अधिकार ।

३. अवलम्बन कइगैलक उपायमे देहायके बाट सुनिश्चित कर्ना उपाय समेत समावेश रहि ।

(क) सम्बन्धित जनतनसे सम्बन्धित कामदार, कृषिजन्य ओ अन्य रोजगारीमे संलग्न मौसमी, आकस्मिक ओ आप्रवासी कामदारलगायत श्रम ठेकेदारलोग रोजगारीमे लगैलक कामदारलोग समेत राष्ट्रिय कानुन ओ अभ्याससे उहे क्षेत्रमे संलग्न अन्य ओस्टे कामदारलोगन डेगैलक संरक्षण उपभोग कर्ना ओ ओइन श्रम कानुन अन्तर्गतके ओइनके अधिकार ओ ओइन उपलब्ध रलक उपचारके उपायके बारेमे पुरापुर जानकारी करैना बाट,

(ख) यी जनतासे सम्बन्धित कामदारलोगन ओ खासकैके किटनाशक वा अन्य विखहा चिजके संसर्ग हुइना अवस्थामे ओइनके

स्वास्थ्यके लग जोखिमपूर्ण हुइना काम वातावरणमे काम करक नैलगैना बाट,

(ग) यी जनतासे सम्वन्धित कामदारलोगन बँधुवा श्रम वा रिन टिरे नैसेक्लक कारणसे कमैया हुइपर्ना अन्य मेरिक कामलगायत बलपूर्वक भर्ना प्रणालीअन्तर्गत भर्ना नैकैना बाट,

(घ) यी जनतासे सम्बन्धित कामदारलोग महिला ओ पुरुषके लग रोजगारीमे बराबर अवसर ओ बराबर व्यवहार उपयोग कर्ना ओ यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध संरक्षण पैना बाट ।

४. प्रस्तुत महासन्धिके यी भागके व्यवस्थाके पालना हुइलक बाट सुनिश्चित कर्ना उद्देश्यले सम्बन्धित जनतासे सम्बन्धित कामदारलोग ज्यालादारी रोजगारी कर्लक क्षेत्रमे पर्याप्त श्रम निरीक्षण सेवा स्थापित कर्नाओर विशेष ध्यान डिंहि ।

भाग ४

व्यावसायिक तालीम, हस्तकला ओ ग्रामीण उद्योग

धारा २१

सम्बन्धित जनताके सदस्यलोग व्यावसायिक तालीमके उपायके सम्बन्धमे कम्तीमे अन्य नागरिकलोग पैना सरह बराबर अवसर उपभोग करहिं ।

धारा २२

१. सामान्य प्रयोगके ब्यवसायिक तालीम कार्यक्रममे सम्वन्धित जनताके सदस्यन्के स्वेच्छिक सहभागिता प्रवर्द्धन कर्ना उपाय अपनैहि ।

२. सामान्य प्रयोगके ब्यवसायिक तालीम कार्यक्रमसे सम्बन्धित जनताके विशेष आवश्यकता पूरा नैकर्लक अवस्थामे सरकारलोग यी जनताके सहभागितामे विशेष तालीम कार्यक्रम ओ सुविधाके व्यवस्था मिलैहिं ।

३. कौनो फेन विशेष तालीम कार्यक्रम सम्बन्धित जनताके आर्थिक वातावरण, सामाजिक ओ साँस्कृतिक अवस्था ओ व्यवहारिक आवश्यकतामे आधारित रहि । यी सम्बन्धमे कइगैलक कौनो फेन अध्ययन यी जनतनके सहयोगमे कैजाइ ओ असिन कार्यक्रमके संगठन ओ संचालनके सम्बन्धमे यी जनतनसे परामर्श कैजाइ । सम्भव हुइलक अवस्थामे यी जनता ओसिन निर्णय कर्लेसे असिन विशेष तालीम कार्यक्रमक संगठन ओ संचालनके लग प्रगतिशील रुपमे जिम्मेवारी बहन करहिं ।

धारा २३

१. हस्तकला, ग्रामीण ओ समुदायमे आधारित उद्योग ओ सम्बन्धित जनताके निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र ओ शिकार खेल्ना, मच्छि मर्ना, पासो ठप्ना ओ जम्मा कर्ना हस परम्परागत क्रियाकलापहे ओइनके सँस्कृतिके सम्बर्द्धन ओ आर्थिक आत्मनिर्भरता विकासमे महत्वपूर्ण तत्वके रुपमे मान्यता डेजाइ । सरकारलोग उपयुक्त हुइलक अवस्थामे असिन जनताके सहभागितामे असिन कृयाकलाप सुदृढ कैगैलक ओ प्रर्व्रद्धन कैगैलक बाट सुनिश्चित करहिं ।

२. सम्बन्धित जनताके अनुरोधमे, सम्भव हुइलक अवस्थामे असिन जनताके परम्परागत प्रविधि ओ साँस्कृतिक विशेषता ओ दिगो ओ समन्यायिक विकासहे दृष्टिगत कैके उपयुक्त प्राविधिक ओ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराजाइ ।

भाग ५
सामाजिक सुरक्षा ओ स्वास्थ्य

धारा २४

सम्बन्धित जनताके रक्षावरण कर्ना मेरिक सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजनाके विकास प्रगतिशील रुपमे कैजाइ ओ ओइन विरुद्ध कौनो फेन भेदभाव नैकैके असिन योजनाके कार्यान्वयन कैजाइ ।

धारा २५

१. सरकार सम्बन्धित जनतन पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुइलक सुनिश्चित कर्ना या ओइने शारीरिक ओ मानसिक स्वास्थ्यके उच्चतम उपलब्ध स्तर उपभोग करे सेक्ना मेरिक ओइनके आपन जिम्मेवारी ओ नियन्त्रण अन्तर्गत असिन सेवा तय कैके उपलब्ध करैना ओइन स्रोत उपलब्ध कराइ ।

२. स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुइटसम समुदायमे आधारित रहि । सम्बन्धित जनताके सहयोगमे असिन सेवाके तर्जुमा कैके संचालन कैजाइ ओ असिन सेवासे ओइनके आर्थिक भौगोलिक, सामाजिक ओ साँस्कृतिक अवस्था ओ ओइनके निरोधात्मक हेरचाह, उपचारात्मक अभ्यास ओ दरदवाइहे ध्यान डि ।

३. स्वास्थ्य उपचार प्रणालीसे स्थानीय समुदायके स्वास्थ्यकर्मीन्के तालीम ओ रोजगारी प्राथमिकता डेना ओ स्वास्थ्य उपचार सेवाके अन्य तहसे सवल सम्बन्ध कायम ढैटि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामे जोड डि ।

४. असिन स्वास्थ्य सेवाके व्यवस्था करेबेर मुलुकमे अपनागैल अन्य सामाजिक, आर्थिक ओ साँस्कृतिक उपायसे समन्वय कैजाइ ।

भाग ६
शिक्षा ओ संचार माध्यम

धारा २६

सम्बन्धित जनतनके सदस्यन् कम्तीमे राष्ट्रिय समुदायके अन्य जनतनसे बराबर आधारमे सक्कु तहमे पह्रे पैना अवसर उपलब्ध हुइलक बाट सुनिश्चित कर्ना उपाय अपनाजाइ ।

धारा २७

१. सम्बन्धित जनतनके लग शैक्षिक कार्यक्रम ओ सेवा असिन जनतनके

विशेष आवश्यकता सम्वोधन करक लग ओइनके सहयोगमे विकास ओ कार्यान्वयन कैजाइ ओ ओसिन कार्यक्रम ओ सेवासे ओइनके इतिहास, ज्ञान ओ प्रविधि, मुल्य प्रणाली (भ्यालु सिस्टम्स) ओ उत्तरोत्तर सामाजिक, आर्थिक ओ साँस्कृतिक आकाँक्षाहे समेटि ।

२. सक्षम अधिकारीके उपयुक्तता अनुसार ओसिन जनतनके लग ओसिन कार्यक्रम चलाइक लग प्रगतिशील रुपमे जिम्मेवारी हस्तान्तरण कर्ना उद्देश्यले शैक्षिक कार्यक्रमके तर्जुमा ओ कार्यान्वयनके सम्बन्धमे सम्बन्धित जनतनके सदस्यन तालिम डेगैल ओ ओम्ने ओइनके संलग्नता रलक सुनिश्चित करि ।

३. ओस्टक सरकारलोग आपन शैक्षिक संस्था ओ सुविधा स्थापित कर्ना यी जनतनके अधिकारहे मान्यता डिंहि । मने असिन संस्था यी जनतनसे परामर्श कैके सक्षम अधिकारीसे स्थापित न्युनतम मापदण्ड पूरा कर्लक हुइपरि । यी प्रयोजनके लग उपर्युक्त स्रोत उपलब्ध कराजाइ ।

धारा २८

१. सम्बन्धित जनताके लर्कापर्कन व्यवहारिक हुइटसम ओइनके अपने मातृभाषा वा ओइनके समूहसे सबसे ढेर बोलजैना भाषामे पढ्ने लिखे सिखाजाइ । यी व्यवहारिक नैहुइ टे सक्षम अधिकारीलोग यी उद्देश्य हासिल कर्ना उपाय अपनैना अभिप्रायसे यी जनतासे परामर्श करहिं ।

२. यी जनतन मुलुकके राष्ट्रिय भाषा वा मुलुकके कौनो एक औपचारिक भाषामे सहज ढंगले बोल्ना अवसर मिल्लक् बाट सुनिश्चित करक लग पर्याप्त उपाय अपनाजाइ ।

३. सम्बन्धित जनताके मातृभाषाके संरक्षण, विकास ओ अभ्यास ओ प्रवर्द्धन कर्ना उपाय अपनाजाइ ।

धारा २९

ओइनके अपने समुदायमे ओ राष्ट्रिय समुदायमे पुरापुर रुपसे ओ बराबर आधारमे सहभागी हुइक लग सम्बन्धित जनताके लर्कापर्कन सहयोग करक लग सामान्य ज्ञान ओ सीप उपलब्ध करैना यी जनताके लग शिक्षाके लक्ष्य रहि ।

धारा ३०

१. सरकारलोग सम्वन्धित जनताके परम्परा ओ संस्कृति अनुरुपके उपायसे ओ खासकैके श्रम, आर्थिक अवसर, शिक्षा ओ स्वास्थ्यसम्बन्धी बाट, सामाजिक कल्याणसम्बन्धी ओइनके अधिकार ओ कर्तव्य ओ यी महासन्धिसे निःसृत ओइनके अधिकारके सम्बन्धमे ओइन जानकारी करैना उपाय अपनैहि ।

२. आवश्यक हुइलमे लिखित उल्ठाके माध्यमसे ओ असिन जनताके भाषामे आम संचारके प्रयोगमार्फत यी काम कैजाइ ।

धारा ३१

राष्ट्रिय समुदायके सक्कु समूह ओ खासकैके सम्बन्धित जनतासे निकटतम प्रत्यक्ष सम्पर्क हुइलक समूहबीच असिन समूहसे यी जनताके सम्बन्धमे ढारे सेक्ना पूर्वाग्रह उन्मूलन कर्ना उद्देश्यसे शैक्षिक उपाय अपनाजाइ । इतिहासके पोस्टा ओ शैक्षिक सामग्री असिन जनताके समाज ओ संस्कृतिके स्वच्छ, यथार्थपरक ओ जानकारी डेना मेरिक फोटु उपलब्ध करैलक सुनिश्चित कर्ना प्रयत्न करहिं ।

भाग ७

सीमा यँहपारके, ओंहपारके सम्पर्क ओ सहयोग

धारा ३२

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक ओ वातावरणीय क्षेत्रमे कैजैना क्रियाकलापलगायतके क्षेत्रमे सीमा वरपरके आदिवासी ओ जनजातिबीचके सम्पर्क ओ सहयोग सजिल बनाइक लग सरकारलोग अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता समेतके उपयुक्त उपाय अपनैहि ।

भाग ८

प्रशासन

धारा ३३

१. यी महासन्धिमे समोटगैल बाटक् लग जिम्मेवार सरकारी अधिकारी सम्बन्धित जनतन प्रभाव पर्ना कार्यक्रम संचालन कर्ना विद्यमान निकाय वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र ओसिन निकाय ओ संयन्त्रहे सौंपल काम उपयुक्त मेरिक सम्पन्न करक लग आवश्यक साधन ओसिन निकाय ओ संयन्त्रमे रलक बाट सुनिश्चित करि ।

२. असिन कार्यक्रममे देहायके बाट समावेश हुइ ।

(क) सम्बन्धित जनताके सहयोगमे यी महासन्धिमे व्यवस्था हुइलक उपायके लग योजना तर्जुमा, समन्वय, कार्यान्वयन ओ मुल्याङ्कन कर्ना,

(ख) सम्बन्धित जनताके सहयोगमे सक्षम निकाय समक्ष कानुनी ओ अन्य उपाय प्रस्ताव कर्ना ओ अपनागैल उपायके प्रयोगके सुपरीवेक्षण कर्ना ।

भाग ९

सामान्य प्रावधान

धारा ३४

प्रत्येक मुलुकके विशिष्ट अवस्थाहे दृष्टिगत कैटि यी महासन्धिहे कार्यान्वयन करक लग उपायके प्रकृति ओ क्षेत्र लरम मेरिक निर्धारण कैजाइ ।

धारा ३५

यी महासन्धिके व्यवस्थाके प्रयोगसे अन्य महासन्धि ओ सिफारिश अन्तर्राष्ट्रिय लिखत, सन्धि वा राष्ट्रिय कानुन, निर्णय, परम्परा वा सम्झौता बमोजिम जनताके अधिकार ओ लाभ उपर प्रतिकूल प्रभाव नैपारि ।

भाग १०

अन्तिम प्रावधान

धारा ३६

यी महासन्धि आदिवासी ओ जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९५७ हे संशोधन कर्ले बा ।

धारा ३७

यी महासन्धिके अनुमोदन कर्लक औपचारिक लिखत दर्ता करक लग अन्तर र्ष्ट्रिय श्रम कार्यालयके महानिर्देशकके समक्ष पठाजाइ ।

धारा ३८

१. महानिर्देशक समक्ष अनुमोदनके लिखत दर्ता करैलक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके सदस्यन्के हकमे किल यी महासन्धि बन्धनकारी रहि ।

२. महानिर्देशक समक्ष दुई सदस्यन्के अनुमोदनके लिखित दर्ता हुइलक मितिले बाह्र महिनासे यी महासन्धि सुरु हुइ ।

३. ओकरबाड यी महासन्धिके अनुमोदनके लिखत दर्ता कराइलक लग सदस्यके हकमे ओसिक दर्ता करैलक मितिले बाह्र महिनापाछे सुरु हुइ ।

धारा ३९

१. यी महासन्धि अनुमोदन कर्लक सदस्यन् यी महासन्धि सुरु हुइलक मितिसे शुरुके दश बरस ओराइलपाछे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयके महानिर्देशकहे दर्तक लग सूचना डेके यी महासन्धि परित्याग करे सेक्हि । मने परित्याग करल सूचना दर्ता हुइलक मितिले एक बरससम लागू नैहुइ ।

२. यी महासन्धि अनुमोदन कर्ना ओ यी धारामे व्यवस्था हुइल बमोजिम परित्यागके अधिकार आघक् प्रकरणमे उल्लेखित दश बरसके अवधि ओराइल पाछेक बरसभिट्टर नैबेल्सना प्रत्येक सदस्यके हकमे यी

महासन्धि दश बरसके डोसर अवधिसम बन्धनकारी हुइ ओ ओकरपाछे ओसिन सदस्य यी धारामे उल्लेखित शर्त अन्तर्गत दश बर्सक् प्रत्येक अवधि ओराइल पाछे यी महासन्धि परित्याग करे सेकि ।

धारा ४०

१. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयके महानिर्देशक संगठनके सदस्यन् संम्प्रेषण कर्लक सक्कु अनुमोदन ओ परित्यागके दर्ताके सूचना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनके सक्कु सदस्यन् डिंहि ।

२. महानिर्देशक संगठनके सदस्यन् ओइनसमक्ष पठैलक डुस्रा अनुमोदनके दर्ताके जानकारी डेहेबेर उ मितिसम यी महासन्धि लागू हुइना बाटेम संगठनके सदस्यन्हे ध्यानाकर्षण करैहिं ।

धारा ४१

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयके महानिर्देशक इहिसे आघक धाराके व्यवस्था बमोजिम आपन समक्ष दर्ता हुइलक अनुमोदन ओ परित्यागके सक्कु कामके सक्कु विवरण दर्ताके लग संयुंक्त राष्ट्र संघके बडापत्रके धारा १०२ अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघके महासचिवहे डिंहि ।

धारा ४२

अप्ने आवश्यक मन्लक बेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयके संचालक निकायसे यी महासन्धिके कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन महासम्मेलनमे प्रस्तुत कर्ना यी महासन्धिके आंशिक वा पुरा संशोधनके सवाल सम्मेलनके कार्यसूचीमे ढैना वाञ्छनीय हुइना वा नैहुइना एकिन करि ।

धारा ४३

१. सम्मेलन यी महासन्धिहे पुरा वा आंशिक रुपमे संशोधन कैके लावा महासन्धि स्वीकार करि कलेसे लावा महासन्धि अन्यथा व्यवस्था कर्लकमे बाहेक,

(क) कौनो सदस्यसे संशोधन कर्ना लावा महासन्धि अनुमोदन हुइलेसे संशोधन कर्ना लावा महासन्धि सुरु हुइबेर उपयुक्त धारा ३९ मे जा बाट लिखल हुइलेसे फेन यी महासन्धि तुरुन्त विधिवत परित्याग कइल मानजाइ ।

(ख) संशोधन कर्ना लावा महासन्धि प्रारम्भ हुइलक मितिसे यी महासन्धि सदस्यन्से अनुमोदन हुइक लग खुला नैरहि ।

२. यी महासन्धि अनुमोदन कर्लक, मने संशोधन कर्ना महासन्धि अनुमोदन नैकैलक सदस्यन्के हकमे कौनो फेन अवस्थामे यी महासन्धि वर्तमान स्वरुप ओ अन्तरवस्तुमे जो लागू रहि ।

धारा ४४

प्रस्तुत महासन्धिके अंग्रेजी ओ फ्रान्सेली भाषाके प्रति बराबर रुपमे आधिकारिक बा ।

ओराइल

Indigenous Media Foundation
Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Tel.: 977 1 4102757, 4102689
Email : indigenoustelevision@gmail.com
Website : www.indigenousmediafoundation.org

Publisher

INDIGENOUS MEDIA FOUNDATION

IWGIA

THARU Indigenous Language, Nepal
Translation :
Krishna Raj Sarbahari (Tharu)